

समाहरणालय, मुंगेर

(जिला आपूर्ति शाखा)

उपावंटन आदेश

प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-25 (बजट) दिनांक-29.08.2012 द्वारा मुख्य शीर्ष 3456 सिविलपूर्ति-लघुशीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, मांग सं0-18 उपशीर्ष-0002 जिला प्रभार विपत्र कोड सं0 N3456000010002, गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में जन वितरण प्रणाली के कम्प्यूटराईजेशन के लिए 13.01 कार्यालय व्यय ईकाई मद में प्राप्त आवंटन निम्न निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि उपावंटित की जाती है।

क्र0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	जन वितरण प्रणाली के कम्प्यूटराईजेशन के लिए कार्यालय व्यय ईकाई मद में उपावंटित राशि	कुल राशि
1	2	3	4
1.	जिला नजारत पदाधिकारी, मुंगेर	100000.00	100000.00

(कुल:-एक लाख रुपये मात्र)

1. यह राशि मुख्य शीर्ष 3456 सिविल पूर्ति लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष 0002 जिला प्रभार विपत्र कोड संख्या N3456000010002, मांग संख्या 18 (गैर योजना) 1301 कार्यालय व्यय ईकाई के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में विकलनीय होगा।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि0 दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक 880/वि0 दिनांक 21.08.2012 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा एतद् संबंधी समय-समय पर निर्गत पत्रों/परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

4. इस राशि का उपयोग केवल कम्प्यूटराईजेशन संबंधी कार्यों के लिए किया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि निकासी की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दें। अन्यथा व्यय संबंधी किसी भी गड़बड़ी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।

80-
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक...803.../जि0आ0, दिनांक...25.09.2012
प्रतिलिपि :- जिला नजारत पदाधिकारी, मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30
22/09/12
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक...803.../जि0आ0, दिनांक...25.09.2012
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-प्र5(2) बजट-(गै0यो0)-05/2011-25 (बजट) खाद्य, पटना-15, दिनांक-29.08.2012 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी (NIC), मुंगेर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30
22/09/12
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।